

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

### बारहवां सत्र

बुधवार, 24 अगस्त, 2016/2 भाद्रपद, 1938 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

#### 1. प्रश्नोत्तर:

##### (1) तारांकित:

- (i) स्थगित } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे  
(ii) दिन के लिए } जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

##### (2) अतारांकित :

- दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा  
पटल पर रखे जाएंगे ।

#### 2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

- (1) श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगी ।
- (2) श्री जी०एस० बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 21(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण के 15वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

### 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
  - (i) समिति का 143वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है;
  - (ii) समिति का 144वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और
  - (iii) समिति का 145वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है ।
- (2) श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि समिति के 9वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।
- (3) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 58वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।
- (4) श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन जोकि प्रदेश में संचालित महिलाओं के लिए रोजगार सह-आयोत्पादक प्रशिक्षण, स्वावलम्बन योजना की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

- (5) श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2016-17),  
समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित  
करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
- (i) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि  
गृह विभाग के आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
- (ii) समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि  
राजस्व विभाग के आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री सुरेश भारद्वाज }  
श्री अनिरुद्ध सिंह }

"नगर निगम शिमला के टैंक में दो साल पड़े रहे शव के कारण शहर के  
वी0आई0पी0 इलाकों में दूषित पेयजल की आपूर्ति" से उत्पन्न  
स्थिति की ओर शहरी विकास मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन :

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"That in pursuance of the Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of 1. Arni University, (Kathgarh (Indora), 2. APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University (Shimla), 3. Baddi University of Emerging Sciences & Technologies, Baddi (Solan), 4. Bahra University, Wagnaghat (Solan), 5. Career Point University, Tikker Kharwarian (Hamirpur), 6. Chitkara University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 7. Eternal University, Baru Sahib (Sirmour), 8. Indus International University, Bathu (Una), 9. ICFAI (Institute of Chartered Financial Analysts of India) University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 10. IEC (Indian Education Centre) University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 11. Maharishi Markandeshwar University, Kumarhatti (Solan), 12. Manav Bharti University, Laddo, Sultanpur (Solan), 13. Sri Sai University, Palampur (Kangra) & 14. Shoolini University of Biotechnology & Management Sciences, Bajhol (Solan) for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the respective Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

## 6. विधायी कार्य :

### (I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016  
(2016 का विधेयक संख्यांक 14)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

### (II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016  
(2016 का विधेयक संख्यांक 13)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

## 7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

- (1) श्री महेन्द्र सिंह  
श्री रविन्द्र सिंह  
श्री सुरेश भारद्वाज } प्रस्ताव करेंगे कि:

"सरकार की वर्तमान कानून व्यवस्था पर यह सदन विचार करे ।"

- (2) श्री सुरेश भारद्वाज, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई हेतु यह सदन विचार करे ।"

शिमला-171 004

दिनांक: 23 अगस्त, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,

सचिव ।

\*\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)